न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री बृजमोहन बैरवा आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 23/2023/अपील/एलआरएक्ट/बूंदी

दायरा दिनांकः 11.1.2023

अन्तर्गत धाराः 75 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

रामकल्याण आत्मज खाना जाति माली निवासी तीरथ तहसील तालेडा जिला बूंदी (राज0) ।

...अपीलार्थी

बनाम

.राज0 सरकार जरिये तहसीलदार तालेडा जिला बूंदी राज0 ।

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री जगदीश सेन अभिभाषक –अपीलार्थी
पैरोकार सरकार–रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 8.5.2024

अपीलार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेडा जिला बूंदी (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा मि0 नं0 84/प्रा0 पत्र/2020 अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम बउनवान रामकल्याण बनाम राज0 सरकार जरिये तहसीलदार तालेडा मे पारित निर्णय दिनांक 27.9.2022 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध प्रथम अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 अपील के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है, कि अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट अस आशय का पेश किया गया कि आराजी ख0 नं0 803 पूर्व मे बडा खसरा नम्बर था जिसके अलग–अलग टुकडो के अलग–अलग खातेदार सेटलमेंट से पूर्व राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे अंकित चले आ रहे थे जिसमे एक खसरा नम्बर 803/1घ अपीलांट के पूर्वज मंगला पुत्र पन्ना माली की खातेदारी मे अंकित चला आ रहा था। इसी प्रकार ख0 सं0 803 के अन्य टुकडे अलग 2 व्यक्तियों के खातेदारी मे अंकित होकर काबिज काश्त थे। सेटलमेंट कार्यवाही के दौरान आराजी पूर्व अनुसार दर्ज नही की गई जबकि सभी काश्तकार पूर्व खाते के अनुसार ही काबिज काश्त है। जिससे भविष्य मे विवाद की स्थिति उत्पन्न होने की सम्भावना बनी हुई है। अपीलार्थी के पूर्वजो के खाते मे अंकित आराजी ख0 सं0 803/1घ रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा के स्थान पर नये ख0 नं0 1052 रकबा 7 बीघा 12 बिस्वा किस्म बारानी अंकित कर दिया गया जबकि अपीलार्थी के कब्जे व खाते के नये खसरा नम्बर 1214 एवं 1214/1464 है परन्तु उक्त ख0 नं0 मे से 1214 ख0 नं0 अन्य खातेदार छीतरलाल मीणा के खाते अंकित कर दिया गया जो वर्तमान मे उसके वारिसान के नाम अंकित है। एंव आराजी ख0 नं0 1214/1464 वर्तमान मे सिवायचक अंकित है। इसी प्रकार ख0 सं0 1212 अपीलार्थी एंव अपीलार्थी के परिवारजन के खाते अंकित कर दिया गया जबकि उक्त खसरा नमबर उपरोक्त खातेदार छीतरलाल मीणा के कब्जे काश्त मे चला आ रहा है जो पूर्व मे भी उन्ही के खाते दर्ज था। अतः पूर्व की स्थिति अनुसार आराजी ख0 सं0 1214 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा एंव आराजी ख0 सं0 1214/1664 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा अपीलार्थी के नाम खाते अंकित करने तथा जो आराजी प्रार्थी के नाम अंकित है उसे खाते से विलोपित संबधित खातेदारान के नाम अंकित किये जाने के आदेश प्रदान किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट को रेकार्ड एंव साक्ष्य के अभाव मे निर्णय दिनांक 27.9.2022 से खारिज किया गया जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय हाजा

अति. सं. आयुक्त
कोटा

मे इस आशय की पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष समग्र राजस्व रिकार्ड, साक्ष्य, शपथ पत्र रामकल्याण का पेश किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार/अप्रार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गई जो सर्वथा अनुचित एंव विधि के नियमो के विपरीत है क्योंकि तहसीलदार को रिकार्ड व रिपोर्ट प्रकरण मे प्रस्तुत किया जाना था। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दोनो खातेदार आपसी सहमति एंव साक्ष्य के द्वारा इनद्राज दुरूस्ती करवाने के विधिक अधिकारी थे इसके बावजूद प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाना विधि के विपरीत है। अतः उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य मे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27.9.2022 अपास्त कर इन्द्राज दुरूस्ती का आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 पैरोकार सरकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराया तथा कथन किया कि अपीलार्थी ने प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष समग्र राजस्व रिकार्ड, साक्ष्य, शपथ पत्र रामकल्याण का पेश किया गया था जिस पर कोई गौर नही कर प्रार्थना पत्र खारिज करने मे विधिक त्रुटि की है। प्रकरण मे तहसीलदार से रिकार्ड व रिपोर्ट प्राप्त नही की बल्कि तहसीलदार के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दोनो खातेदार आपसी सहमति एंव साक्ष्य के द्वारा इन्द्राज दुरूस्ती करवाने के विधिक अधिकारी थे इसके बावजूद प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाना विधि के विपरीत है बहस मे आगे बताया कि सेटलमेंट द्वारा अपीलार्थी के पूर्वजो के खाते मे अंकित आराजी ख0 सं0 803/1घ रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा के स्थान पर नये ख0 नं0 1052 रकबा 7 बीघा 12 बिस्वा किस्म बारानी अंकित कर दी गई जबकि अपीलार्थी के कब्जे व खाते के नये खसरा नम्बर 1214 एवं 1214/1464 है परन्तु उक्त ख0 नं0 मे से 1214 ख0 नं0 अन्य खातेदार छीतरलाल मीणा के खाते अंकित कर दिया जो वर्तमान मे उसके वारिसान के नाम अंकित है एंव आराजी ख0 नं0 1214/1464 वर्तमान मे सिवायचक अंकित है। इसी प्रकार ख0 सं0 1212 अपीलार्थी एंव अपीलार्थी के परिवारजन के खाते अंकित कर दिया गया जबकि उक्त खसरा नम्बर खातेदार छीतरलाल मीणा के कब्जे काश्त मे चला आ रहा है जो पूर्व मे भी उन्ही के खाते दर्ज था। अतः पूर्व की स्थिति अनुसार आराजी ख0 सं0 1214 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा एंव आराजी ख0 सं0 1214/1664 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा अपीलार्थी के नाम खाते अंकित करने तथा जो आराजी प्रार्थी के नाम अंकित है उसे खाते से विलोपित संबधित खातेदारान के नाम अंकित किये जाने के आदेश प्रदान किया जावे।

4 पैरोकार सरकार ने अपनी बहस मे निर्णय अधीनस्थ न्यायालय न्यायोचित होना ज़ाहिर करते हुये अपील खारिज करने का अनुरोध किया।

5 अपील पत्रावली का अवलोकन किया। अपी0 द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है अतः प्रकरण का गुणावगुण पर अवलोकन कर निर्णय किये जाने से पूर्व मियाद के बिन्दू को निर्णित किया जाना न्यायहित मे न्यायोचित है। अपीलांट द्वारा डिले कन्डोन हेतु अपील मे धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश कर डिले सद्भाविक होने से क्षम्य किये जाने का अनुरोध किया। रेस्पो0 पैरोकार सरकार ने प्रा0 पत्र मे उल्लेखित तथ्यों का खण्डन नही किया है ना ही खण्डन मे कोई प्रतिउत्तर ही पेश किया है ऐसी स्थिति मे प्रा0 पत्र मे वर्णित तथ्यों को अविश्वसनीय माने जाने का पत्रावली मे कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नही है। लिहाजा अपील पेश करने मे हुई देरी सद्भाविक होने से क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

6 हमने पत्रावली का अुणावगुण के आधार पर विचार कर अपील एव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन किया तथा बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एंव पैरोकार सरकार पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख एंव आलौच्य निर्णय दिनांक 27.9.2022 के अवलोकन से प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी/अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र को ख0 सं0 1214 एक अन्य खातेदार छीतरलाल मीणा के खाते अंकित होना एंव वर्तमान मे उसके वारिसान के नाम अंकित होने के कोई दस्तावेज उपलब्ध नही होना वर्णित कर यह अभिलिखित किया है कि यदि अपीलार्थी/प्रार्थी के खातेदारी

अति. सं. आयुक्त
कोटा

के ख0 सं0 एंव छीतरलाल के खसरा सं0 सेटलमेंन्ट मे परिवर्तित हुये है तो प्रकरण मे छीतरलाल की सहमति एंव मौका रिपोर्ट अथवा साक्ष्य जिससे यह प्रमाणित हो कि अपीलार्थी की खातेदारी की भूमि के ख0 सं0 छीतरलाल मीणा व उसके वारिसान के नाम एंव छीतरलाल मीणा की खातेदारी की भूमि के ख0 सं0 अपीलार्थी रामकल्याण के नाम दर्ज हुये है या दौनो आपस मे एक दुसरे की खातेदारी पर अवैधानिक रूप से काबिज है प्रामाणित नही होना मानकर प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट खारिज किया है। प्रकरण मे अपीलार्थी का मुख्य तर्क है कि ख0 नं0 803 पूर्व मे बडा खसरा नम्बर था जिसके अलग–अलग टुकडो के अलग–अलग खातेदार सेटलमेंट से पूर्व राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे अंकित चले आ रहे थे जिसमे एक खसरा नम्बर 803/1घ अपीलांट के पूर्वज मंगला पुत्र पन्ना माली की खातेदारी मे अंकित चला आ रहा था। इसी प्रकार ख0 सं0 803 के अन्य टुकडे अलग 2 व्यक्तियों के खातेदारी मे अंकित होकर काबिज काश्त थे। सेटलमेंट कार्यवाही के दौरान आराजी पूर्व अनुसार दर्ज नही की गई जबकि सभी काश्तकार पूर्व खाते के अनुसार ही काबिज काश्त है। अपीालार्थी द्वारा इस संबध मे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष समग्र राजस्व रिकार्ड, साक्ष्य, शपथ पत्र रामकल्याण का पेश किया गया था जिसके आधार पर दोनो खातेदार आपसी सहमति एंव साक्ष्य के आधार पर इन्द्राज दुरूस्ती करवाने के विधिक अधिकारी थे। प्रकरण मे तहसीलदार के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गई तथा तहसीलदार से रिकार्ड व रिपोर्ट प्राप्त नही कर प्रार्थना पत्र को विधि विरूद्ध रूप से खारिज कर दिया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख के अवलोकन से अपीलांट के उपरोक्त तर्क की प्रथम दृष्टया पुष्टि होती है। सेटलमेंट विभाग को बिना सक्षम आदेश के राजस्व रिकार्ड मे किसी प्रकार के परिवर्तन करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही है। प्रकरण मे यह तथ्य भी विवेचनीय है कि राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के अन्तर्गत **"भूमि अभिलेख अधिकारी किसी भी समय, किसी लिपिकीय गलती और ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध करवा सकेगा, या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर मे कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करे या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर मे अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करे"**। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उक्त निहित प्रावधानो के विपरीत है क्योंकि तहसीलदार लेण्ड होल्डर होता है ऐसी स्थिति मे प्रकरण मे मुताबिक राजस्व रेकार्ड सेटलमेंट से पूर्व व बाद की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट व वर्तमान मौका रिपोर्ट तहसीलदार से प्राप्त कर नये पुराने खसरा नम्बर इत्यादि का मिलान कर प्रकरण मे विधिसम्मत निर्णय पारित किया जाना अपेक्षित था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार से ना तो किसी प्रकार का राजस्व रिकार्ड प्राप्त किया तथा ना ही सेटलमेंट से पूर्व व बाद की वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की बल्कि दिनांक 1.8.2022 को तहसीलदार/पैरोकार सरकार के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी जाकर पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो का गुणावगुण के आधार पर समुचित परीक्षण किये बिना ही जेरअपील निर्णय दिनांक 27.9.2022 पारित कर अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक एंव तथ्यात्मक त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित नही होने से अपास्त किये जाने योग्य है। परिणामस्वरूप उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट आशिक रूप से स्वीकार की अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेडा द्वारा पारित आलौच्य जेरअपील निर्णय दिनांक 27.9.2022 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित/रिमांड किया जाता है कि प्रकरण मे पक्षकारान को साक्ष्य सबूत, दस्तावेज पेश करने का समुचित अवसर प्रदान कर वादग्रस्त भूमि के संबध मे मुताबिक राजसव रेकार्ड सेटलमेंट से पूर्व व बाद की स्थिति तथा वर्तमान स्थिति की तथ्यात्क रिपोर्ट तहसीलदार तालेडा से प्राप्त कर रेकार्ड एंव तथ्यों का समुचित परीक्षण करते हुये पुनः विधिसम्मत एंव तथ्यात्मक निर्णय पारित करे।

7 निर्णय आज दिनांक 8.5.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(बृजमोहन बैरवा)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा